



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 4911

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44718 सन् 2025

अजहर उर्फ अजारुद्दीन

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	विजय प्रताप सिंह
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री विजेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक अजहर उर्फ अजारुद्दीन की ओर से दायर किया गया है, जिसमें अपराध संख्या 286/2023, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना फेज-1, जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत मामले में, परीक्षण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गुप्त मंशा के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। 25 मामलों के आपराधिक इतिहास को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में उल्लिखित गिरोह की गतिविधियों में उकसावे या सहायता नहीं की है। उपरोक्त मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भाग जाने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक, जो 23.09.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित रहने के कारण परीक्षण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से प्रतिबिंबित प्रकृति और साक्ष्य पर विचार करने के साथ-साथ अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला प्रतीत होता है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **अजहर उर्फ अजारुद्दीन** को उपरोक्त अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, उसके द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदार समान राशि में संबंधित न्यायालय के संतोष के लिए प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

- I. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- II. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- III. आवेदक व्यक्तिगत रूप से परीक्षण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के शुरू होने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर उपस्थित रहेगा।
- IV. आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों तो साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- V. आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तारीख पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी। परीक्षण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।